न्यायालय जिला कलक्टर(रसद), हनुमानगढ़

नाम पीठासीन अधिकारी–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील **संख्याः–05/2018**

सायरा बीबी पत्नी सिराज अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड संख्या 9 किकरवाली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। ————**अपीलाण्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ।
2. शेर अली पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

————**रेस्पोडेन्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री कुलदीप सिह ओलख एडवोकेट–अपीलाण्ट।
2. श्री सोहनलाल सहारण, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1।
3. श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट संख्या 2।

निर्णय दिनांकः– 10.10.2019

अपील के संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी.के साथ तृतीय पक्षकार के रूप में उक्त अपील धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 11.07.2018 बअनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम शेर अली आदेश कंमाक रसद/अभि/2018/3171 जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ग्राम किकरवाली में उचित मुल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र जारी है। रेस्पोडेन्ट 2 के विरूद्व इस आश्य की शिकायत प्राप्त होने पर कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं की राशन कार्डो में गलत, अनुचित व कांट–छांट प्रविष्टियां कर ग्रामीणो को प्राप्त होने वाली गेहूं की कालाबाजारी कर रहा है। इस पर प्रवर्तन अधिकारी, संगरिया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व दिनांक 08.06.2018 को जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को प्रस्तुत की गई कि नूरनबी राशनकार्ड संख्या 006726101424 व चिरागअली का राशन कार्ड संख्या 006726101361 में कंमशः 75 व 65 किलो गेहूं का दुरूपयोग करना पाया गया, राशन कार्ड प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी डीलर द्वारा गेहूं नही दिया जाता है तथा डीलर द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है आदि शिकायत

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

जांच में पुष्टि होने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के कार्यालय आदेश दिनांक रसद/अभि/2018/2828–2835 दिनांक 20.6.2018 से राज.खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन किये जाने के कारण शेरअली (रेस्पो.2) उचित मूल्य दुकानदार किकरवाली तहसील संगरिया का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी नोटिस के जवाब पर सहमत होते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने कार्यालय आदेश कंमाक रसद/अभि/2018/3171–3180 दिनांक 11.7.2018 से प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया। अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 11.7.2018 से व्यथित होकर उक्त आदेश को अपास्त करने हेतु उक्त अपील पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष उपस्थित द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं की राशन कार्डो में गलत, अनुचित व कांट–छांट प्रविष्टियाँ कर ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले गेहूं की कालाबाजारी करता था जिसकी सम्पर्क पोर्टल, उपखण्ड अधिकारी संगरिया व श्रीमान् जी के समक्ष अनेक बार शिकायते की गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 गेहूं की कालाबाजारी करने का आदी है। समस्त वितरण सामग्री को ग्रामीणों को वितरण न करके अपने लाभ के लिये ज्यादा रूपयो मे बेचता है तथा मिलावटखोरों व असामाजिक तत्वों से मिला हुआ है। जबकि प्रवर्तन अधिकारी संगरिया की रिपोर्ट में भी स्पष्ट दर्ज है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 राशन कार्ड में कम एन्ट्री करके ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले गेहूं का गबन कर रहा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 गाली गलौच कर व धक्के मारकर दुकान से निकाल देता है। ग्रामीणों में रेस्पोडेंट संख्या 2 का भय व्याप्त है क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने घर में ही उचित मूल्य की दुकान चलाई जा रही है। रेस्पोडेंट संख्या 2 राशि वसूल करने व ऑनलाईन अंगूठा लगा लेने के बावजूद भी गेंहू नहीं देता है। प्रर्वतन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 08.06.2018 में शिकायत को सही मानते हुए दिनांक 20.06.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट व अन्य शिकायतकर्ताओ को बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब नोटिस पर ही मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाने के आश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्राधिकार पत्र अपने आदेश क्रमांक रसद/अभि/2018/3171 दिनांक 11.7.2018 द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से बहाल कर दिया है जो काबिले निरस्ती है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया कि अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्व ऐसा कोई गंभीर अवहेलना कारित होना नहीं होना पाया गया है। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2019 में 15 माह में 65 किलो गैहूं का दुरूपयोग के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को कम हुए गैहूं की मात्रा के अनुसार राशि व प्रतिभूति राशि 3592/–रूपये जमा कराने से राज्य पक्ष किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है व राशन कार्डो के वितरण में 15 माह में छिज्जत से भी इतनी गैहूं कम होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 11.7.2018 को विधिसम्मत रूप से अपना आदेश देते हुए प्राधिकार पत्र को बहाल किया है। पत्रावली में अपीलांट का राशन कार्ड बनना प्रकट नहीं होता है व डिपू होल्डर द्वारा 1982 से उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाना अभिलेख से साबित होता है। इस प्रकार अपील में किसी प्रकार का बल नही होने के कारण अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील रेस्पो.सं. 2 द्वारा कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा आवश्यक जांच करवाई गई है। फर्द मौका जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2018 को मौका

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर जाकर जांच करने के उपरांत तैयार किया गया जिसमें चीनी, मिटटी का तेल, स्टॉक मुताबिक सही होना पाया गया व शिकायत का प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2018 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को प्रस्तुत किया जिसमें मात्र 15 माह में कुल 65 किलो गेहूं के दुरूपयोग के संबंध में जिला रसद अधिकारी ने सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त गेहूं की राशि व प्रतिभूति राशि समेत 3592/–रूपयें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से जब्त करने के आदेश दिये है व लाईसेन्स बहाल करने के संबंध में दिनांक 11.7.2018 को आदेश पारित किया है। रेस्पो. सं. 2 द्वारा सन 1982 से उचित मुल्य की दुकान का संचालन बिना किसी शिकायत के किया जा रहा है। अपीलाण्ट ने महज रंजिशवश व दूसरे डिपो होल्डर के उकसाने पर यह मिथ्या शिकायत की है जबकि उसका स्वयं का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है और ना ही उसके द्वारा कभी भी कोई राशन लिया गया है। रेस्पोडेंट के विरूद्ध ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं था जिससे कि उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता। राशन कार्डो में कांट छांट का जो आरोप लगाया गया है, मूल राशन कार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कब्जा में नहीं रहते व कांट छांट किसके द्वारा की गई है, यह तथ्य अपीलाण्ट साबित नहीं कर पाई है। जिला रसद अधिकारी को प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए गेहूं की छिज्जत के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 2 से उसकी कीमत जमा करवा लेने के उपरांत प्राधिकार पत्र बहाल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसमे किसी भी विधि की कोई उल्लघंना नहीं हुई है व ना ही राजकोष में किसी प्रकार की कोई हानि हुई है। रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे कि उसका प्रधिकार पत्र निरस्त किया जा सके।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को दिनांक 29.04.2019 स्वीकार किया जाकर बतौर तृतीय पक्षकार के रूप में न्यायहित में अपील करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट का शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2019 उपलब्ध होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना पाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यालय टिप्पणी पर पीठासीन अधीकारी के हस्ताक्षर नहीं होने पाये गये है। इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट सख्या 2 को ही सुनकर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवेचनानुसार प्रकरण रिमाण्ड योग्य बनता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2018 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई, साक्ष्य के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रकरण की जांच करवाते हुए विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner